

84

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक मिस - 890-I/12

- 1- श्रीमती भारती पाराशर पति श्री हरिओम पाराशर
उम्र 44 वर्ष निवासी टीचर्स कॉलोनी,
तहसील व जिला नीमच म0प्र0
- 2- श्रीमती कुमुत जैन पति जयवंत जैन
निवासी 14/2 म0नं0 333,
विकास नगर, नीमच म0प्र0

श्री विश्वेश चन्द्र शर्मा
द्वारा आ 10/4/12 को
प्रस्तुत का
10-4-12
कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

— आवेदकगण

1. श्री विश्वेश चन्द्र शर्मा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा — अनावेदक
2. म0प्र0शासन

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 29 म.प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

- 1- यहकि आवेदकगण ने कलेक्टर महोदय, जिला नीमच, म0प्र0 के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि की अदला-बदली हेतु प्रस्तुत किया था जो प्रकरण कमांक 05/ए/19(4)/06-07 पर दर्ज किया गया । जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात दिनांक 19-2-07 को भूमि की अदला-बदली का आदेश आवेदकगण के पक्ष में पारित किया गया था और तदनुसार उक्त आदेश का पालन किया गया । उसके पश्चात आवेदकगण द्वारा उस भूमि को उन्नत बनाए जाने में काफी धनराशि व्यय की है ।
- 2- यहकि श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पत्र कमांक 11076/एफ-88/रीडर-1/2011 दिनांक 3-12-11 के अनुक्रम में कलेक्टर के आदेश को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है
- 3- यहकि, इसके पश्चात अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग द्वारा आवेदकगण को दिनांक

शाखा प्रशासक (राजस्व)
कार्यालय ग्वालियर


Alhatuwal
10/4/12

Alhatuwal

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक मिसलेनियम 890-एक/2012 [अपराध/रक्रेग] जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-5-2017	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री बी०एन०त्यागी पेनल लॉयर उपस्थित । यह विविध प्रकरण संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत अपर आयुक्त से प्रकरण आयुक्त अथवा अन्य अपर आयुक्त को सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने से संबंधित है । यह प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है, परन्तु आवेदक द्वारा इसके निराकरण में रूचि नहीं ली जा रही है । इसके अतिरिक्त लगभग 7 वर्ष में जिन अपर आयुक्त से प्रकरण स्थानान्तरित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उनका स्थानान्तरण हो चुका होगा । अतः अब इस प्रकरण के निराकरण का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p style="text-align: center;">  अध्यक्ष </p>